

29/11/24 प्रावली पेश हुई। प्रथी वकील उपस्थित।
विपथीगण के सम्मन Registry पर प्राप्त
जिन्हें शामिल प्रावली किया जाता है।
प्रावली वाले विपथीगण के जवाब देने
आइन्दा दिनांक 10/12/24 को पेश हो।

10/12/24 प्रावली पेश हुई। प्रथी वकील उपस्थित।
प्रावली वाले विपथीगण के जवाब देने
आइन्दा दिनांक 27/12/24 को पेश हो।

27/12/24 प्रावली पेश हुई। पीजसीन अधिकारी निगम
कार्यों में व्यस्त हैं, मिसल इत्तया होकर प्रावली
पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 01/01/25
को पेश हो।

01/01/25 प्रावली पेश हुई। प्रथी वकील उपस्थित। विपथीगण
को जवाब पेश करने का सर्वथा अंतिम अवसर
दिया जाकर प्रावली आइन्दा दिनांक 12/02/2025
को पेश हो।

12/02/2025 प्रावली पेश हुई। प्रथी वकील उपस्थित। विपथीगण
के सम्मन पूर्व में Registry पर प्राप्त होने के
बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके
विरुद्ध एक्जस्टा करिबाई अमल में लाई जाती है।
वकील प्रथीगण ने व्हिस सुनने का निवेदन किया।
वकील प्रथीगण की व्हिस सुनी गई। व्हिस पर मतान
किया गया। प्रावली का अध्ययन, अक्लोकन किया
गया, जिससे प्रतीत होता है कि प्रथीगण का प्रथन
प्र अन्तर्गत धारा 11, 12 & 14 RLR में को स्वीकार किया
जाना उचित प्रतीत होता है। अतः नेमासंबंधी निर्णय अलग
से लिखा जाकर शामिल प्रावली किया गया। प्रावली फैसल
शुमार होकर दायित्व खतर हो। संख्या से एक कम हो।